


## संयुक्त निरीक्षण


आज दिनांक- 10/03/2026 को.....

महोदय के आदेश दिनांक..... के अनुपालन में..... विभाग की..... से हाठ तक मोटे मोटे योजना/परियोजना में प्रभावित 1.170 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तरण के संबंध में तहसील..... के ग्राम..... की भूमि का राजस्व विभाग, याचक विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया।

मौका निरीक्षण उपरान्त..... (योजना/परियोजना का नाम) में प्रभावित 1.170 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम..... रा०उ०नि०क्षेत्र..... अन्तर्गत गैर ज०वि० खतौनी श्रेणी- 10(4) के खतौनी खाता संख्या- 6.2 बसरा संख्या 803 में दर्ज पैमाईशी खेत नम्बर 803 रक्वा कमश- 4.128 हे० मध्ये कुल 1.170 हे० भूमि चयनित/प्रस्तावित की गयी। उक्त चयनित/प्रस्तावित की जा रही भूमि में कोई वृक्ष नहीं है अथवा विभिन्न प्रजाति के यथा..... के कुल 150 वृक्ष है। तथा कोई धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान आदि नहीं है और न ही ऐतिहासिक महत्व की इमारत निर्मित है। उक्त चयनित/प्रस्तावित भूमि को प्रथम बार प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रस्तावित भूमि इससे पूर्व किसी भी योजना/परियोजना हेतु प्रस्तावित नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित भूमि का इससे पूर्व किसी योजना/परियोजना आदि में आवंटन किया गया है। अतः..... विभाग की..... योजना/परियोजना हेतु प्रभावित 1.170 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील अल्मोड़ा के ग्राम..... रा०उ०नि०क्षेत्र..... अन्तर्गत गैर ज०वि० खतौनी श्रेणी- 10(4) के खतौनी खाता संख्या- 6.2 बसरा संख्या 803 में दर्ज पैमाईशी खेत नम्बर 803 मध्ये रक्वा कमश- 1.170 हे० कुल 1.170 हे० वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु चयनित/प्रस्तावित किया जाता है।

  
AAE  
याचक विभाग,

  
वन विभाग

  
राजस्व उपनिरीक्षक  
क्षेत्र राजस्व विभाग  
तहसील अल्मोड़ा  
जिला अल्मोड़ा